वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा...

प्रा०सं० 16
20.1.12

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-ज0वि0प्र0-24/2011 खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव
सरकार के संयुक्त सचिव ।

16 JAN 2012

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

विषय :- सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश- 2011 (ज्ञापांक- 5738/खाद्य, दिनांक- 23.06.2011) की धार-7 की उपधारा (ii), (iii), (iv), (v), (vi) एवं (vii) के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :- (1) आपका पत्रांक- 1577/आ0, दिनांक- 20.10.2011 एवं
(2) पत्रांक- 1576/आ0, दिनांक- 20.10.2011 ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय एवं आपके संगिक पत्र संख्या- 1577/आ0, दिनांक- 20.10.2011 एवं पत्र संख्या- 1576/आ0, दिनांक- 20.10.2011 के संदर्भ में विचार करते हुए विधि विभाग का भी परामर्श प्राप्त किया गया । विधि विभाग द्वारा निम्नांकित परामर्श दिया गया है :-

(1) सामान्यतः कोई भी अधिनियम, परिनियम, ज्ञापांक, आदेश आपने प्रकाशन की तिथि से ही प्रभाव में आता है, जब तक कि उक्त अधिनियम, नियम या आदेश में स्वयं भूतलक्षीत प्रभाव का स्पष्ट उल्लेख ना हो ।

ऐसी परिस्थिति में उक्त संशोधन आदेश- 2011 अपने प्रकाशन की तिथि, दिनांक- 15.07.2011 से प्रभाव में माना जायेगा, अर्थात् 15 जुलाई 2011 से पूर्व तक आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा- 7 की उप धारा (ii), (iii), (iv), (v), (vi) एवं (vii) (जो विलोपित कर संशोधित की गयी है), भी प्रभावी मानी जायेगी । अतः उक्त धारा के अन्तर्गत 15 जुलाई, 2011 के पूर्व किया गया कोई भी आदेश निलम्बन या रद्दीकरण वैद्य व प्रभावी रहेगा और ऐसा आदेश संशोधित आदेश- 2011 से प्रभावित नहीं होगा ।

(2) धारा- 7 की उप धारा (ii) जो संशोधन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित की गयी है उसमें विलोपित उप धारा (iii), (iv), (v) समाहित है और नये संशोधन आदेश के तहत धारा- 7 की उप धारा (ii) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जा सकता है ।

विधि विभाग के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में प्रश्नगत मामले का निस्तार करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन
ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-ज0वि0प्र0-24/2011 63 खाद्य, पटना/दिनांक- 4/1/2012

प्रतिलिपि- सभी समाहर्त्ता/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि विधि विभाग के उपर्युक्त परामर्श को अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को परिचारित करने की कृपा की जाय ।

3/1/12

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\Year 2011\Sec-7\P.D.S.doc